

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19-ए, विशाल कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

समरत मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक—एस0पी0एम0यू0 / एन.आर.एच.एम. / जेनरेटर / 2012-13/3774-75

दिनांक 29-3-13

विषय—जेनरेट क्रय के संबंध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 एवं संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार की दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में मिशन निदेशक महोदय के निर्देशानुसार जनपद एवं सी0एच0सी0 स्तर पर कोल्ड चेन हेतु जेनरेटर्स का क्रय निर्धारित 'डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों' पर ही किया जाए एवं प्रति जेनरेटर डी0जी0एस0 एंड डी0 दरों में हुई वृद्धि लगभग 45.00 हजार की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा Budget re-appropriation के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतः पूर्व स्वीकृत रु0 3,10,525.00 (रुपये तीन लाख, दस हजार, पाँच सौ पच्चीस मात्र) के अतिरिक्त लगभग रु0 45,000.00 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र) प्रति जेनरेटर की डी0जी0एस0 एंड डी0 दरों पर क्रय करने हेतु व्यय किये जा सकते हैं। जेनरेटर क्रय प्रक्रिया 31-3-2013 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए तथा जेनरेटर्स, गैप एनालिसिस के आधार पर एवं कन्डमनेशन बोर्ड के प्रमाणपत्र के आधार पर ही क्रय किये जाएं।

जेनरेटर क्रय करने के पश्चात कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(डा० वी० के० सिन्हा) 29/3/13

महाप्रबंधक

आई0ई0सी0 एवं प्रोक्योर0

पत्रांक—एस0पी0एम0यू0 / एन.आर.एच.एम. / जेनरेटर / 2012-13
प्रतिलिपि—मिशन निदेशक महोदय, को सादर सूचनार्थ।

तददिनांक


(डा० वी० के० सिन्हा)

महाप्रबंधक

आई0ई0सी0 एवं प्रोक्योर0